प्रेस नोट थाना नसीरपुर दिनाँक 01.09.2024 जनपद फिरोजाबाद

थाना नसीरपुर पुलिस टीम द्वारा दिनांक 26-08-2024 को एक महिला कमलेश (सरकारी टीचर) की हुई हत्या का सफल अनावरण करते हुए प्रकाश में आए 01 वाँछित अभियुक्त बिल्लू उर्फ सागर गिरफ्तार कब्जे से घटना में प्रयुक्त आई-10 (लाल रंग) गाडी बरामद ।

- वाँछित अभियुक्ता सीमा यादव द्वारा मृतका कमलेश से लिए करीब 50 लाख रूपये के कर्ज (उधारी रूपये) को न देने के एवज में अपने अन्य साथियों संग मिलकर करवाई गयी थी हत्या ।
- वाँछित अभियुक्ता द्वारा मृतका कमलेश से धीरे-धीरे करके करीब 50 लाख रूपये लिए थे उधार ....
- वाँछित अभियुक्ता सीमा यादव आँगनवाड़ी के साथ- साथ प्रापर्टी डीलिंग का भी करती है काम.......
- अन्य वाँछित अभियुक्तगण 1-सीमा यादव, 2-हरीशंकर उर्फ हरिओम व 3-टीटू उर्फ संदीप यादव की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा सभी पर 10-10 हजार रूपये का इनाम किया गया है घोषित....
- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा गठित 03 पुलिस टीमों द्वारा वाँछित अभियुक्तगणों की गिरफ्तारी हेतु सम्भावित स्थानों पर लगातार दी जा रही है प्रभावी दबिश........

दिनांक 27-08-2024 को मृतका के पुत्र वादी श्री चिराग यादव की तहरीर के आधार पर थाना नसीरपुर पर मु0अ0सं0 177/24 धारा 103(1),238 बीएनएस पंजीकृत किया गया जिसमें वादी की माँ महिला कमलेश यादव की हत्या कर दी गयी थी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद श्री सौरभ दीक्षित द्वारा घटना के खुलासे हेतु अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी सिरसागंज के नेतृत्व में 03 पुलिस टीमों का गठन किया गया था।

गठित पुलिस टीम द्वारा ठोस सुरागरसी पतारसी, आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना पर हत्या में प्रकाश में आए वाँछित अभियुक्त बिल्लू उर्फ सागर पुत्र रामप्रकाश निवासी ग्राम नगला गोकुल थाना बसईमौ0पुर जनपद फिरोजाबाद दिनांक 01-09-2024 को नौरंगी घाट बटेश्वर रोड़ से घटना में प्रयुक्त आई-10 गाडी(लाल रंग) नम्बर यूपी 83 पी 6975 सहित गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तारी के आधार पर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है। साथ ही मुकदमा उपरोक्त में अन्य प्रकाश में आए वांछित अभियुक्तगण 1.हरीशंकर उर्फ हरिओम पुत्र अरविन्द निवासी नगला गुरूकुल थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद 2.टीटू उर्फ संदीप यादव पुत्र हरीबाबू निवासी हुकमपुरा(नगला केहरी) थाना घिरोर जनपद मैनपुरी 3.सीमा यादव पत्नी योगेन्द्र सिंह निवासी एदलनगर आसफाबाद थाना रसूलपुर जनपद फिरोजाबाद की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक

फिरोजाबाद द्वारा सभी पर 10-10 हजार रूपये का पुरूष्कार घोषित किया गया है। वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु गठित पुलिस टीमों द्वारा सम्भावित स्थानों पर लगातार दबिश दी जा रही है।

पूछताछ विवरणः-

गिरफ्तार अभियुक्त बिल्लू उर्फ सागर पुत्र स्व0 रामप्रकाश निवासी नगला गोकुल थाना बसई मोहम्मदपुर जिला फिरोजाबाद द्वारा बताया गया कि मेरी फिरोजाबाद में बरी चौराहे पर मोटर साइकिल रिपेयरिंग की दुकान है जिस पर मैं तथा मेरा साला टीटू उर्फ सन्दीप यादव पुत्र हरीबाबू निवासी ग्राम नगला केहरी थाना घिरोर जिला मैनपुरी काम करते हैं। टीटू मेरे ही घर पर करीब 15 वर्षों से रह रहा है। नगला एदल आसफाबाद की रहने वाली सीमा से मेरी दोस्ती है एवं मेरा उनके घर पर आना जाना था। सीमा मुझे तथा टीटू को अच्छी तरह से जानती है। चन्द्रवार गेट की रहने वाली कमलेश जो सरकारी टीचर थीं, उनका भी सीमा के घर पर आना जाना था। सीमा आंगनवाडी व प्रोपर्टी डीलिंग का काम करती है। मैं भी कभी कभी इनका काम देख लिया करता था। सीमा ने कमलेश से धीरे धीरे कर वर्ष 2019 से लगभग 50 लाख रूपये उधार ले लिये थे जो कमलेश अब सीमा से रोज-रोज तगादा करती थीं जिससे सीमा परेशान होंने लगीं और सीमा ने हमें ये बात बताई कि कमलेश को रास्ते से हटाना है। इस पर मैंने सीमा से अपने साले टीटू व गाँव के ही रहने वाले हरीशंकर को सीमा के पास लेकर गया और हम सबने कमलेश को मारने का प्लान बनाया और सीमा से हरीशंकर व टीटू को यह काम करने के लिये एक एक लाख रूपये देने की बात तय हुई फिर हम सब लोगों ने जन्माष्टमी वाले दिन दिनांक 26.08.2024 को दोपहर में यह काम करने का प्लान बनाया। दिनांक 26.08.2024 को सीमा का मेरे पास फोन आया कि गाडी लेकर आसफावाद रेलवे ब्रिज के नीचे आ जाओ मैंने कमलेश को यहीं पर बुला लिया है। जिसके बाद दोपहर मैं गाडी लेकर पुल के नीचे पहुँचा। मेरे साथ में पहले से ही हरीशंकर पीछे वाली सीट पर बैठा था। पुल के पास सीमा तथा कमलेश आ गयी जिनको मैने गाडी में पीछे वाली सीट पर बिठा लिया और प्लान के अनुसार मटसेना रोड पर लेकर गाडी को चल दिये। एक किलोमीटर चलने के वाद गाजीपुर पर बने मन्दिर के पास पहले से खडे टीटू को भी गाडी में बिठा लिया। फिर जैसे ही आगे बढे तो पानी बरसने लगा और ग्राम घडी चकरपुर पार करने के बाद सुनसान जगह देखकर हरीशंकर, सीमा व टीटू ने मिलकर कमलेश के दुपट्टे से ही उसका गला घोंट दिया। मैं लगातार गाडी को चलाता रहा। जब कमलेश की मृत्यु हो गयी तो उसके लाश को लगाने के लिये पुनन्छा गांव की तरफ गये क्योंकि टीटू को वहाँ की जानकारी थी कि वहां रोड के किनारे आसपास काफी जंगल झाँडिया हैं। वहां पर कोई लाश को फेंकते समय देख नही पाएगा। फिर हम चारों लोग गाडी से पुनन्छा वाले रोड पर पहुँचे और एक मोड के पास सुनसान जगह देखकर कमलेश की लाश को रोड के किनारे खाई में फेक दिया और वहां से आगे चले गये और वापस मक्खनपुर वाले रोड़ से फिरोजाबाद आ गए। गाडी को धुलवाकर सबूत मिटाने हेतु अन्दर गैराज में खड़ी कर दिया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

बिल्लू उर्फ सागर पुत्र रामप्रकाश उम्र करीब 42 वर्ष निवासी ग्राम नगला गोकुल थाना बसई मौहम्मदपुर जनपद फिरोजाबाद।

अभियुक्त बिल्लू उर्फ सागर उपरोक्त का आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0स0-177/2024 धारा 103(1)/238 बी0एन0एस0 थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

बरामदगीः-

1-घटना में प्रयुक्त आई-10 (लाल रंग) की चार पहिया गाडी नम्बर यूपी 83 पी 6975

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1.थानाध्यक्ष श्री राजीव कुमार थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

2.उ0नि0 श्री जतिनपाल सिंह थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

3.उ0नि0(प्रशिक्षु) रितिक शर्मा थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

4.का0 1248 वीरेश कुमार थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।

4.म0का0 1399 अनुराधा चौधरी थाना नसीरपुर जनपद फिरोजाबाद।